न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : अंशदीप, आई0ए0एस0

विविध रसद प्रकरण सं. 35/2019

प्रार्थी–	बनाम	अप्रार्थी–
राजस्थान सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी चौहटन मुख्यावास बाड़मेर		शंभुसिंह पुत्र देवीसिंह रावणा राजपूत मैसर्स अंम्बिका भोजनालय, सिवाना, जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :–

1. विभागीय पैरोकार प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री महेन्द्रसिंह सोढा, अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 18.12.2019

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थी के विरूद्व प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि दिनांक 02.07.2019 को श्री खेमाराम प्रवर्तन अधिकारी बालोतरा ने मौतबिरान के रूबरू अप्रार्थी के व्यवसायिक प्रतिष्ठान मैसर्स अम्बिका भोजनालय, सिवाना के परिसर पर जांच करने पहुंचे, जहां मौके पर फर्म मालिक अप्रार्थी श्री शंभुसिंह उपस्थित मिला। उक्त प्रतिष्ठान में भोजन बनाकर ग्राहकों को विक्रय किया जा रहा था। इस दुकान की जांच की तो निम्न घरेलु गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग हेतु प्रयोग मे लेना पाया गया। उक्त गैस सिलेण्डर (आईओसीएल) मार्क का पाया गया, जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार दिया गया है–

क्र. सं.	गैस सिलेण्डर न.	गैस कम्पनी का नाम	सिलेण्डर का कुल वजन	खाली सिलेण्डर का वजन	सिलेण्डर मे भरी हुई गैस का वजन
1.	64551	आईओसीएल	24.000 कि.ग्रा.	15.200 कि.ग्रा.	08.800 कि.ग्रा.

मौके पर उक्त दुकान मे पाये गये घरेलु उपयोग के गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग किये जाने एवं संग्रह करने उक्त गैस सिलेण्डर को जब्त सरकार किया गया। उक्त गैस सिलेण्डर को मैसर्स सिवाना गैस सर्विस, सिवाना को सुपुर्दनामा पर सुपुर्द किया गया। अप्रार्थी द्वारा अनाधिकृत रूप से घरेलु गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग हेतु संग्रह कर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के

जिला कलक्टर
बाड़मेर

खण्ड 3 के 1(सी) व 7(सी) का उल्लंघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत उपरोक्त सीजशुदा घरेलु गैस सिलेण्डर मय गैस राजसात करने का आदेश फरमाया जावें।

2. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये पंजिबद्ध डाक द्वारा नोटिस जारी किया गया । अप्रार्थी के अधिवक्ता को पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब प्रस्तुत नही करने पर जवाब बन्द किया जाकर बहस सुनी गई।

3. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष को सुना। प्रार्थी की ओर से विभागीय पैरोकार ने प्रकट किया कि अप्रार्थी के व्यवसायिक प्रतिष्ठान पर घरेलु गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग लेते हुए पाये जाने पर उक्त सिलेण्डर मौतबिरान के रूबरू सीज किये गये है जो वर्तमान मे गैस कम्पनी के स्थानीय वितरक सुपुर्दगी पर दिया गया है। अप्रार्थी द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 के 1(सी) व 7(सी) का उल्लंघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अप्रार्थी की ओर से बावजूद पर्याप्त अवसर जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाना अप्रार्थी की मौन स्वीकारोक्ति प्रकट करता हैं। ऐसे मे आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के प्रावधानों विपरित एवं धारा 7 के अधीन दण्डनीय कृत्य के फलस्वरूप सीजशुदा सामग्री उपरोक्त विवरण के घरेलु गैस सिलेण्डर मय गैस राजसात किये जाने का समुचित आधार मौजूद है।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के कब्जे मे आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं तद्धीन बनाये गये द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 200 के खण्ड 3 के 1(सी) व 7(सी) का उल्लंघन मे पाये गये उपरोक्त गैस सिलेण्डर राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी बाड़मेर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त राजसात की गई एवं सुपुर्दगी पर दी गई सामग्री घरेलु गैस सिलेण्डर मय द्रविकृत गैस का निस्तारण कर प्राप्त राशि राजकोष मे जमा कराने की कार्यवाही करें।

5. आदेश आज दिनांक 18.12.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Ansh

जिला कलक्टर
(अंशदीप)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
बाड़मेर

न्यायालय जिला कलक्टर
बाड़मेर (राजस्थान)